न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, **(RAS)**
राजस्व वाद संख्या :– 30/2023 GCMS 2023/61

वादी :–

1. नेरूराम उर्फ नेहरूराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. तिलोकाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
2. खेमाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
3. चम्पा देवी पत्नि गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।
4. कानूड़ी पत्नि बक्शाराम जाति कुम्हार
5. गंगाराम पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
6. भंवरलाल पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
7. घासीराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासीगण कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा बाबत् बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री शत्रुघन गौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 25/01/2024

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 4.84 हैक्टर कुल रकबा 9.98 हैक्टर में वादी का 49091/399200 हिस्सा अर्थात 1.2272 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की सहखातेदारी की भूमि आई हुई है। ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 477 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 2.55 हैक्टर कुल रकबा 3.54 हैक्टर में वादी का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.8850 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की सहखातेदारी में भूमि आई हुई है। वादी वादग्रस्त खसरो की भूमि का बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम कराने का अधिकारी है, वादग्रस्त खसरो में वादी की कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा वाद के साथ संलग्न प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट "क" है। वादग्रस्त भूमि पर वादी निम्नानुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है :–

ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	वादी का कब्जा काश्त
उगरपुरा	484	2.55 हैक्टर	0.05 हैक्टर
	485	5.14 हैक्टर	[illegible]
	486	4.84 हैक्टर	[illegible]
	477	0.05 हैक्टर	[illegible]
	481	0.02 हैक्टर	1/4 हिस्सा
	485 484	5.14 हैक्टर 2.55 हैक्टर	शामलाती रास्ते में 0.0150 हैक्टर शामलाती रास्ते में 0.0100 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य नही हुआ है इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 सह खातेदार को अपने हक हिस्से अनुसार एवं कब्जे अनुसार भू–विभाजन विधिवत रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा इन्कार होने पर वादी को यह वाद लाना लाजमी हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बिना विधिवत बंटवारा किये वादग्रस्त अराजीयात की भूमि बैचने पर उतारू है यदि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बिना विधिवत बंटवारा किये वादग्रस्त अराजीयात की भूमि का बेचान करने में सफल हो जाते है तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असम्भव होगा। वादी उपरोक्त वादग्रस्त अराजियात का विधिवत खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार की हैसियत से काबिज है वादी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। बिनाय वाद अराजियात खसरे की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारे से दिनॉक 27.02.2023 को इन्कार करने से बमुकाम उगरपुरा में पैदा हुआ है। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति 485 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 4.84 हैक्टर कुल रकबा 9.98 हैक्टर में वादी का 49091/399200 हिस्सा अर्थात 1.2272 हैक्टर एवं ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 477 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 2.55 हैक्टर कुल रकबा 3.54 हैक्टर में वादी का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.8850 हैक्टर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर जहॉ तक सम्भव हो वाद के संलग्न परिशिष्ट "क" के माफिक व वाद के पैरा संख्या 3 के अनुसार वादी के हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम की जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को डिक्री के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश जारी किये जावें। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 इस आशय की जारी फरमाई जावं कि वादग्रस्त खसरा में वादी की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अपने एजेण्ट प्रतिनिधियों से करावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया गया है तथा बंटवारा किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नही है। प्रतिदावा में कथन किया है कि ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 4.84 हैक्टर कुल रकबा 9.98 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या एक का 49091/399200 हिस्सा अर्थात 1.2272 हैक्टर हिस्सा आया हुआ है एवं ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 477 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 2.55 हैक्टर कुल रकबा 3.54 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.8850 हैक्टर हिस्सा आया हुआ है इसी प्रकार कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त भूमि का बंटवारा करवाकर सेपरेट होल्डिंग कायम करना चाहता है, जिसके लिए परिशिष्ट "ख"

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

की प्रति प्रस्ततु की गई है। वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का निम्न प्रकार से कब्जा काश्त है :–

ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	वादी का कब्जा काश्त
उगरपुरा	486	4.84 हैक्टर	2.0950 हैक्टर
	477	0.05 हैक्टर	1/4 हिस्सा
	481	0.02 हैक्टर	1/4 हिस्सा
	485 484	5.14 हैक्टर 2.55 हैक्टर	शामलाती रास्ते में 0.0150 हैक्टर शामलाती रास्ते में 0.0100 हैक्टर

प्रतिवादी संख्या एक की इस्तदुआ है कि उपरोक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 की अलग होल्डिंग कायम की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से चालू जमाबंदी नकल ग्राम उगरपुरा के खाता संख्या 9, 25 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नजरी नक्शा की प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी प्रकार के दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत नही की है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्ततु किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से किसी प्रकार का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रस्तुत जमाबंदी नकल वाद पत्र, काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत शपथ–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम में अंकित इस्तदुआ अनुसार सेपरेट होल्डिंग कायम की जाकर पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में निम्न अनुसार प्रविष्टि दर्ज चली आ रही है :–

ग्राम का नाम :- उगरपुरा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- उगरपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 25
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 19

काश्तकार का नामः-

1. खेमाराम पुत्र गणेश हिस्सा- 1/4 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाखा कुचामनसिटी

2. चम्पादेवी पत्नि गणेश हिस्सा- 1/4 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

3. तिलोकाराम पुत्र गणेश हिस्सा- 1/4 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा KUCHAMAN CITY

4. नेरूराम पुत्र गणेश हिस्सा- 1/4 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाखा कुचामनसिटी,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
477	0.0500	गै.मु.आबादी	0.0500			स्वीकृत नामांतरकरण : 1 13/09/2019 शुद्धिपत्र	
481	0.0200	गै.मु.कुँआ	0.0200			स्वीकृत नामांतरकरण : 2 10/09/2020 शुद्धिपत्र	
482	0.9200	चाही 1	0.7900	26.86		स्वीकृत नामांतरक[illegible]/2019 रहननामा	
		जाव 1	0.1300	2.21			
484	2.5500	चाही 1	2.0500	69.70			
		जाव 1	0.5000	8.50			
कुल खसरे - 4	3.5400		3.5400	107.2700			

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

ग्राम का नाम :- उगरपुरा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- उगरपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 9
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 10

काश्तकार का नाम:-

1. कानुडी पत्नि बक्साराम हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार सा. कुचामनसिटी खातेदार

राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखां कुचामनसिटी

2. खेमाराम पुत्र गणेश हिस्सा- 49091/399200 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-49091/399200 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी

3. गंगाराम पुत्र बकसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार सा. कुचामनसिटी खातेदार

राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी

4. घासीराम पुत्र पेमाराम हिस्सा- 809/99800 जाति- कुमावत सा. कुचामनसिटी खातेदार

5. चम्पादेवी पत्नि गणेश हिस्सा- 49091/399200 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

6. तिलोकाराम पुत्र गणेश हिस्सा- 49091/399200 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-49091/399200 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा KUCHAMAN CITY

7. नेरूराम पुत्र गणेश हिस्सा- 49091/399200 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-49091/399200 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी

8. भंवरलाल पुत्र बकसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार सा. कुचामनसिटी खातेदार

राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
485	5.1400	बारानी 3	5.1400	14.14		स्वीक्रत नामांतरकरण : 287 11/12/2019 रहननामा	
486	4.8400	बारानी 3	4.8400	13.31			
कुल खसरे - 2	9.9800		9.9800	27.4500			

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि का वाद पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण 1 अपने हक हिस्से की भूमि पर शांति से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा बंटवारा कराकर अपना–अपना हक–हिस्सा पृथक कराना चाहते है। अन्य प्रतिवादी सं. 2 से 7 का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि किसी भी खातेदार/पक्षकारान को उज्र एतराज नही है। अतः वाद पक्षकारान काबिल प्राथमिक डिक्री योग्य पाया गया, जो निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 4.84 हैक्टर कुल रकबा 9.98 हैक्टर में 49091/[illegible]2 हैक्टर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 477 रकबा 0.05 [illegible] खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.92 [illegible] रकबा 2.55 हैक्टर कुल रकबा 3.54 हैक्टर में वादी का 1/4 हिस्सा [illegible] में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसि[illegible] की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 4.84 हैक्टर कुल रकबा 9.98 हैक्टर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

49091/399200 हिस्सा अर्थात 1.2272 हैक्टर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 477 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 2.55 हैक्टर कुल रकबा 3.54 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 को 1/4 हिस्सा अर्थात 0.8850 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि रूबरू पक्षकारान (खातेदारान) मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 25/01/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : मनोज,(R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 30/2023 GCMS 2023/61

वादी :–

1. नेरूराम उर्फ नेहरूराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. तिलोकाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
2. खेमाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
3. चम्पा देवी पत्नि गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।
4. कानूड़ी पत्नि बक्शाराम जाति कुम्हार
5. गंगाराम पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
6. भंवरलाल पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
7. घासीराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासीगण कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा बाबत् बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री शत्रुघन गौड़ अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 4.84 हैक्टर कुल रकबा 9.98 हैक्टर में 49091/399200 हिस्सा अर्थात 1.2272 हैक्टर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 477 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 2.55 हैक्टर कुल रकबा 3.54 हैक्टर में वादी का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.8850 हैक्टर में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 4.84 हैक्टर कुल रकबा 9.98 हैक्टर में 49091/399200 हिस्सा अर्थात 1.2272 हैक्टर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 477 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 2.55 हैक्टर कुल रकबा 3.54 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 को 1/4 हिस्सा अर्थात 0.8850 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि रूबरू पक्षकारान (खातेदारान) मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 01 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			[illegible]		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफ[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 07 दिनॉकः– 23/01/2024

प्रेषित :– 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 30 / 2023 **GCMS 2023/61** नेरूराम उर्फ नेहरूराम बनाम तिलोकाराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 30 / 2023 **GCMS 2023/61** नेरूराम उर्फ नेहरूराम बनाम तिलोकाराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सत्यमेव जयते सरकार

भीम BHIM भारत इंटरफ़ेस फ़ॉर मनी

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2023 / 304 दिनांक – 08-02-2024

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद संख्या 30 / 2023 नेरूराम उर्फ नेहरूराम बनाम तिलोकाराम वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना के संदर्भ में।

प्रसंग :– श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट / 2024 / 07 दिनांक 25.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद संख्या 30 / 2023 नेरूराम उर्फ नेहरूराम बनाम तिलोकाराम वगैरह में पारित डिक्री की पालना के संबंध में भू–अ. नि. कुचामनसिटी व पटवारी हल्का उगरपुरा की उपस्थिति मे बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः मूल ही बंटवारा प्रस्ताव श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं महेन्द्र सिंह मुण्ड (नाम) तहसीलदार कु. सिटी न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के आदेश कमांक/कोर्ट/2024/07 दिनांक 25/01/24 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 07/2/24 समय 11:00 AM बजे आराजी खसरा नम्बर- 477, 481, 482, 484, 485, 486 वाके ग्राम उदारपुरा पटवार हल्का उदारपुरा पर श्री दुर्गाराम, प्रतिमा त्रिपाठी नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु. सिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 30/2023 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	नेकराम	गणेशाराम		कुमावत	वादी (LTI नेकराम)
2	त्रिलोकराम	— " —		— " —	प्रतिवादी (LTI त्रिलोकराम)

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

---

पृष्ठ पीछे अंकित नक्शा नक्शानुसार -

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

प. उदारपुरा   LTI त्रिलोकाराम   LTI नेकराम   नायब तह. कुचामन   तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

लगातार - 2

मौके पर उपस्थित पक्षकारों व पड़ौसियों ने निम्न नजरी नक्शानुसार वादी व प्रतिवादी सं. 01 का कब्जा काबिज होना बताया

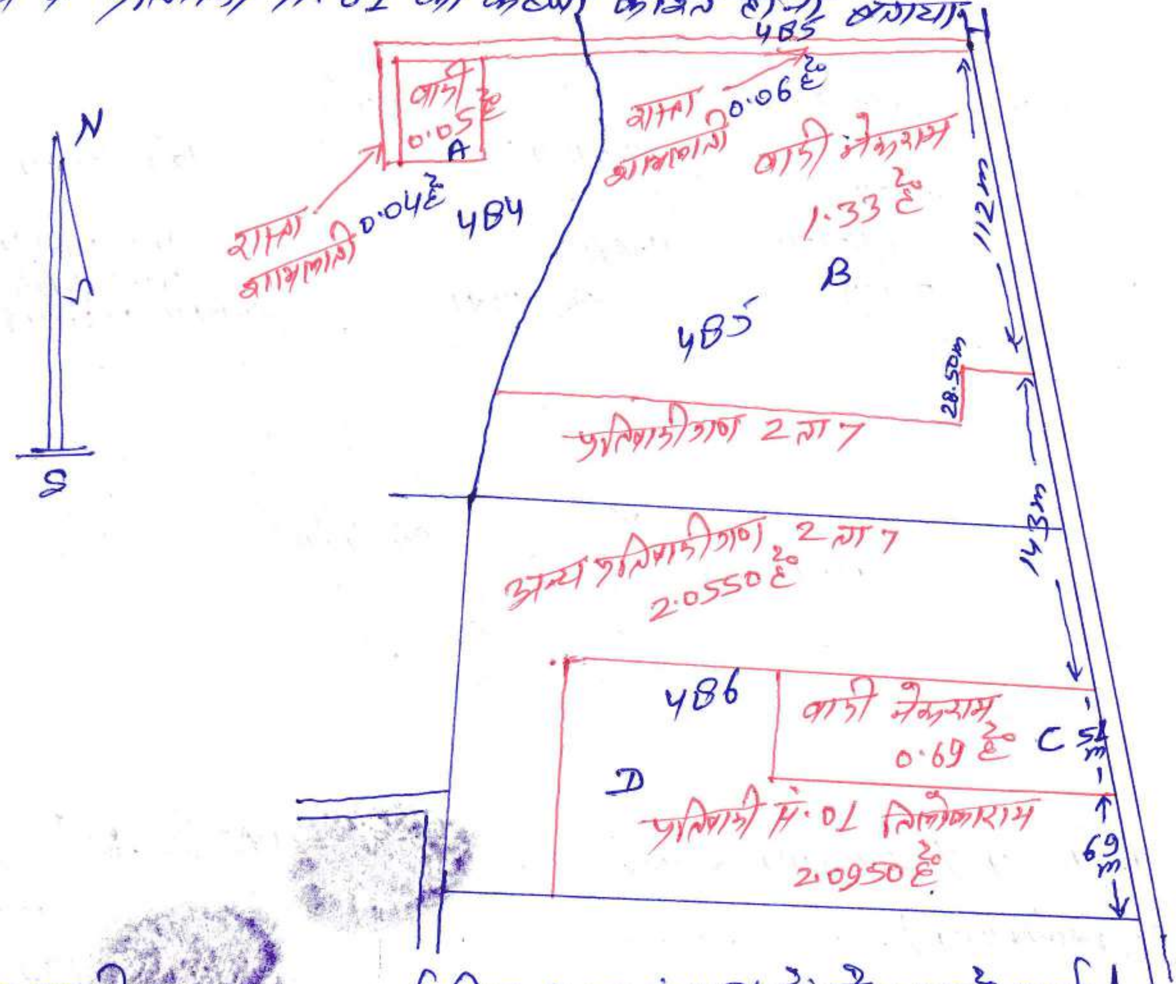

उपरोक्त नजरी नक्शा मुताबिक मार्क बिन्दु A ख. नं. 484 में से 0.05 है, मार्क बिन्दु B ख. नं. 485 में से 1.33 है व मार्क बिन्दु C ख. नं. 486 में से 0.69 है कुल 2.07 है भूमि पर वादी का तथा मार्क बिन्दु D ख. नं. 486 में से 2.0950 है पर प्रतिवादी सं. 01 का कब्जा काबिज है। माननीय न्यायालय आदेशानुसार कथक पक्षकारान बेचारा स्कीम तैयार कर पढ़कर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये।

LTI तिलोकराम

LTI नेकराम

प्रजापत

प. उपाध्याय रामेश्वर

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	मोहनराम	श्री रामेश्वरराम	कुमावत	अंगूठा निशानी मोहनराम	वादी
2.	त्रिलोकाराम	"	—	—	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
—	—	—	—	—	

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..	हस्ताक्षर
1.	अर्जुनराम	श्री मक्खनलाल		कुमावत	9983663939	अर्जुनराम
2.	रतनलाल	"		—	8949640419	रतनलाल
3.	जगदीश	" त्रिलोकाराम		—	7597253930	जगदीश
4.	प्रकाशचन्द	" मोहनराम		—	8058708354	प्रकाशचन्द
5.	रामेश्वरलाल	" नारायणराम		—		रामेश्वर

इस प्रकार आज दिनांक .... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं.	वृत..कु. सिटी..	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, **(RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– 30/2023 GCMS 2023/61

वादी :–

1. नेरूराम उर्फ नेहरूराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. तिलोकाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
2. खेमाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
3. चम्पा देवी पत्नि गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।
4. कानूड़ी पत्नि बक्शाराम जाति कुम्हार
5. गंगाराम पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
6. भंवरलाल पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
7. घासीराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासीगण कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा बाबत् बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री शत्रुघन गौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 19/02/2024

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2023/304 दिनॉक 08.02.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 07.02.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 25.01.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

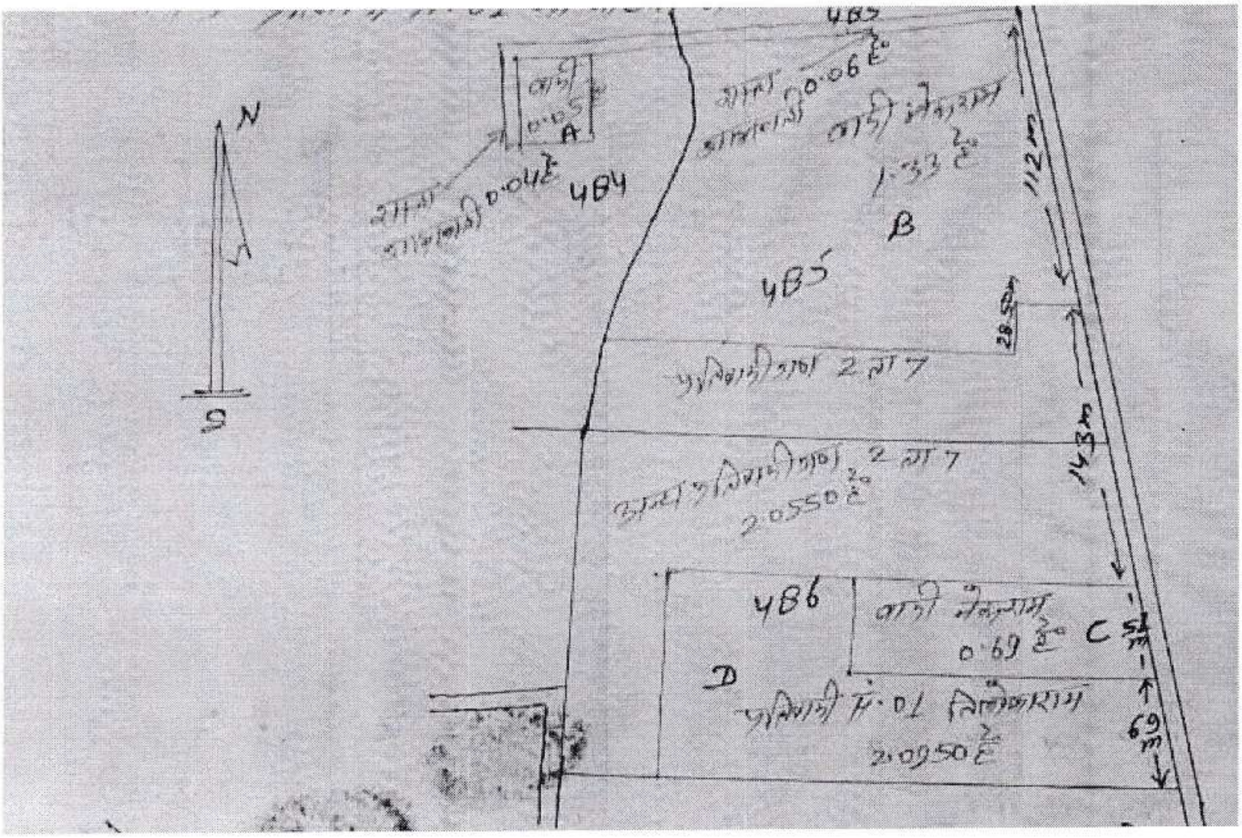

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा 484, 485, 486 का नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में बनाया गया है तथा मौका स्थिति व उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियों द्वारा बताये अनुसार मार्क बिन्दू **A** खसरा नम्बर 484 में से 0.05 हैक्टर, मार्क बिन्दू **B** खसरा नम्बर 485 में से 1.33 हैक्टर व मार्क **C** खसरा नम्बर 486 में से 0.69 हैक्टर कुल रकबा 2.07 हैक्टर भूमि पर वादी को तथा मार्क बिन्दू **D** खसरा नम्बर 486 में से 2.0950 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। शेष खसरा रकबा पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 संयुक्त रूप से काबिज है एवं 0.06 हैक्टर भूमि शामलाती रास्ता एवं 0.04 हैक्टर शामलाती रास्ता बताया गया है। जो नजरी नक्शा में दर्शाय गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी में खसरा नम्बर 484 में से 0.05 हैक्टर मार्क बिन्दू **A**, खसरा नम्बर 485 में से 1.33 हैक्टर मार्क बिन्दू **B** व खसरा नम्बर 486 में से 0.69 हैक्टर मार्क बिन्दू **C** कुल 2.07 हैक्टर भूमि पर वादी को तथा खसरा नम्बर 486 में से 2.0950 हैक्टर मार्क बिन्दू **D** पर प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरा रकबा पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 संयुक्त रूप से काबिज है एवं 0.06 हैक्टर भूमि एवं 0.04 हैक्टर रास्ते के उपयोग हेतु नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

नक्शा अनुसार गै.मु.रास्ता सरकारी दर्ज किया जावें। शेष खसरा नम्बर 477, 481, 482 में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जाता है एवं खसरा नम्बर 484 485, 486 के शेष रकबा में से वादी एवं प्रतिवादी का नाम हटाया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 का हक हिस्सा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 07.02.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : मनोज,(R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 30 / 2023 GCMS 2023/61

वादी :–

1. नेरूराम उर्फ नेहरूराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. तिलोकाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
2. खेमाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत
3. चम्पा देवी पत्नि गणेशराम जाति कुमावत निवासी डेरी वाली कोठी, भंवरपुरा उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।
4. कानूड़ी पत्नि बक्शाराम जाति कुम्हार
5. गंगाराम पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
6. भंवरलाल पुत्र बक्शाराम जाति कुम्हार
7. घासीराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासीगण कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा बाबत् बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री शत्रुघन गौड़ अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी में खसरा नम्बर 484 में से 0.05 हैक्टर मार्क बिन्दू A , खसरा नम्बर 485 में से 1.33 हैक्टर मार्क बिन्दू B व खसरा नम्बर 486 में से 0.69 हैक्टर मार्क C कुल रकबा 2.07 हैक्टर भूमि पर वादी को तथा खसरा नम्बर 486 में से 2.0950 हैक्टर मार्क बिन्दू D पर प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरा रकबा पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 संयुक्त रूप से काबिज है एवं 0.06 हैक्टर भूमि एवं 0.04 हैक्टर रास्ते के उपयोग हेतु नजरी नक्शा अनुसार गै.मु.रास्ता सरकारी दर्ज किया जावें। शेष खसरा नम्बर 477, 481, 482 में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जाता है एवं खसरा नम्बर 484 485, 486 के शेष रकबा में से वादी एवं प्रतिवादी का नाम हटाया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 का हक हिस्सा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 07.02.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुद्दई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजेह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]		
फिस कमिश्नर			ब[illegible]नामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो [illegible] दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested